राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांकः निदे/मुमनिदयो/एफ. /2013/616 दिनांकः 12/12/13

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना के अन्तर्गत सूचना सहायकों के नियमित पदों पर शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है। यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त नव नियुक्त सूचना सहायक जिनका पदस्थापन दवा वितरण केन्द्र व सब–स्टोर पर किया गया है, उन्हें रजिस्ट्रेशन काउन्टर, कार्यालय आदि स्थानों पर रख कर निःशुल्क दवा की प्रतिदिन एन्ट्री का कार्य नहीं कराया जाकर, कार्यालय में अन्य कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। इस कारण दवा वितरण केन्द्रो/सब–स्टोर पर प्रतिदिन की जाने वाली ऑनलाईन एन्ट्री, यथा औषधियों का मांग पत्र जारी करना, प्राप्तियों का इन्द्राज करना, दवा हस्तान्तरण करना एवं दवा वितरण का इन्द्राज करना तथा दवा आपूर्ति एवं उपलब्धता व ई–औषधि सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य आदि बाधित हो रहा है। इससे दवा वितरण केन्द्रो/सब–स्टोर पर वास्तविक स्टॉक और ई–औषधि स्टॉक मे भिन्नता भी आ रही है फलस्वरूप जहाँ एक ओर चिकित्सा संस्थानों के सब–स्टोर, दवा वितरण केन्द्रों पर औषधियाँ (Expired) अवधि खत्म हो चुकी है, के रूप मे प्रदर्शित हो रही है, जबकि वे दवा भौतिक रूप से उपलब्ध नही है, यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी मे आ रहा है, एवं दूसरी ओर इन्द्राज सही व अद्यतन नही होने से इन्वेन्टरी प्रबन्धन भी समुचित रूप से नही हो पाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क दवा योजना में नियुक्त सूचना सहायको को निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रो/सब–स्टोर पर पदस्थापित स्थान पर ही रखा जाए एवं निदेशालय के पत्रांक एफ 04( )/एमएनजेवाई/2013/550 दिनांक 08.11.13 मे उल्लेखित दवा व जांच संबंधी सभी ऑनलाईन एन्ट्री प्रतिदिन आवश्यक रूप से कराई जाए।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

क्रमांकः निदे/मुमनिदयो/एफ. /2013/616 दिनांकः 12/12/13

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, मुख्यालय, जयपुर।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।